



पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

1-तिलक मार्ग, लखनऊ-226001

दिनांक: लखनऊ: मार्च 26, 2017

प्रिय महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि नई सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था के साथ-साथ पुलिस की बेहतर और सकारात्मक छवि भी प्रस्तुत की जाय। प्रायः यह देखने में आया है कि कुछ जनपदीय पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण अपने कार्यालय एवं कर्तव्य स्थल पर वर्दी के बजाय सादे कपड़ों में उपस्थित होते हैं। यह अनुशासहीनता का द्योतक है। वर्दी हमारी पहचान है। निर्धारित वर्दी में पुलिस अधिकारी/कर्मचारी शासन की संवैधानिक शक्तियों का प्रतीक स्वरूप है। सादे परिधान में रहने से किसी आपराधिक घटना के घटित होने अथवा कानून-व्यवस्था संबंधी समस्या उत्पन्न होने की दशा में घटनास्थल पर भी वे सादे कपड़ों में ही चले जाते हैं। घटनास्थल पर सादे वस्त्रों में जाने से पुलिस बल के शक्तिहीन संगठन होने का संदेश आम जनमानस में जाता है और घटनास्थल पर उपस्थिति के बावजूद उनकी मौजूदगी का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता में पुलिस की पहचान उनकी वर्दी से होती है। वर्दी में रहने पर आम जनता में पुलिस की छवि बनती है एवं सकारात्मक संदेश जाता है।

2- निर्देशित किया जाता है कि:-

- पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा निर्धारित स्वच्छ वर्दी धारण की जाएगी।
- वर्दी के अतिरिक्त कोई अन्य जूता/चप्पल/ सैण्डल आदि धारण नहीं किए जायेंगे।
- पुलिस कर्मी ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेगा, जिससे जनता में पुलिस के प्रति नकारात्मक संदेश जाये। किसी भी दशा में रूखी एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
- पुलिस कर्मी अपनी डियूटी पर चुस्त-दुरुस्त रहें, शिथिल व लापरवाह न दिखें। शिथिलता व लापरवाहीपूर्ण प्रदर्शन से आम जनता में पुलिस की प्रतिकूल छवि बनती है।

3- मैं आशा करता हूँ कि आप सभी उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए अपने अधीनस्थों से भी तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

भवदीय,

26-3-17
(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।।

प्रतिलिपि: निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र०।
- 2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ०प्र०।